



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 21.06.22

SPRA की क्राईम ब्रान्च टीम व थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में 2019 से फरार चल रहा 20 हजार का ईनामी वांछित अपराधी गिरफ्तार ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी के दौरान दिनांक 20.07.2019 से चल रहा 20,000 रु0 का इनामी एवं वांछित अपराधी धनराज उर्फ मोनू नि0- ए/87, गली नं0-4 जवाहरनगर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद को SPRA महोदय की क्राईम ब्रान्च टीम व थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 21.06.22 को लोनी बस डिपो दिल्ली सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया।

चौकी सेवाधाम क्षेत्र महामाया कुंज में सीमा नाम की एक महिला अपने भाई अजय व अपने एक छोटे बच्चे के साथ किराये के मकान में रहती थी, जिसकी धनराज उर्फ मोनू नि0- ए/87, गली नं0-4 जवाहरनगर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद द्वारा डीजल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में श्री अजय पुत्र रतनलाल नि0- ए-27, गली नं0-3 महामाया कुंज थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद ने थाना हाजा पर तहरीर दी थी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.07.19 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 589/2019 धारा 323,498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया था। **विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में दिनांक 07.06.2021 को जुर्म धारा 323,302 भादवि का अपराध पाये जाने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी लोनी बोर्डर द्वारा सम्पादित की जा रही है** उक्त मुकदमें में ईनामिया एवं वांछित चल रहे अभियुक्त धनराज उर्फ मोनू की धरपकड़ हेतु एक थाना स्तरीय टीम का गठन किया गया था तथा तभी से सभी टीम द्वारा वांछित अपराधी की धरपकड़ एवं साक्ष्यों के आधार पर बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा था। उपलब्ध साक्ष्यों एवं मुखबिरान की सूचना के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पुलिस को आज सफलता हाथ लगी एवं उक्त घटना में वांछित/इनामी अभियुक्त:- धनराज उर्फ मोनू पुत्र प्रहलाद शर्मा नि0-किशनपुर विराल थाना रमाला जनपद बागपत हालपता- बी-ब्लाक, म0नं0-बी-77 वेस्ट ज्योतिनगर इन्कलेव थाना ज्योतिनगर दिल्ली को समय 08.15 बजे लोनी बस डिपो से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त से गहनता से पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मेरा महामाया कुंज में किराये के मकान में रह रही सीमा नाम की महिला हर्ष विहार दिल्ली की एक कम्पनी में काम करती थी उसी कम्पनी में मैं भी काम करता था। दोनों एक ही कम्पनी में काम करते समय आपस में बातचीत होती रहती थी तथा सीमा के किराये के मकान में भी आना जाना था और कभी कभार रात्रि में भी महामाया कुंज में सीमा के पास रुक जाता था। सीमा मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी जिसके बाद दिनांक 17.07.2019 की रात्रि समय करीब 02.00 बजे मैंने सीमा से पीछा छुड़ाने के लिये उसको समझाने का प्रयास किया, समझाने पर भी नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की किन्तु मारपीट करने पर भी नहीं मानी तब मैंने सीमा के ऊपर डीजल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। तभी से मैं स्थान बदल-बदलकर छुपते हुए इधर-उधर रहने लगा था। साहब आज मैं छुपते छुपाते हुए अपने गाँव जाने के लिए लोनी बस डिपो दिल्ली सहारनपुर रोड पर खड़ा होकर बस का इन्तजार करने लगा था कि आपने पकड़ लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1- धनराज उर्फ मोनू पुत्र प्रहलाद शर्मा नि0-किशनपुर विराल थाना रमाला जनपद बागपत हालपता- बी-ब्लाक,म0नं0-बी-77 वेस्ट ज्योतिनगर इन्कलेव थाना ज्योतिनगर दिल्ली, उम्र-30 वर्ष ।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 589/019 धारा 323/302 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- थानाध्यक्ष श्री योगेन्द्र सिंह पवांर थाना लोनी बार्डर ।
- 2- उ0नि0 श्री अमरपाल सिंह थाना लोनीबार्डर ।
- 3- है0का0 719 ललित कुमार थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।
- 4- का0 583 नीरज कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।
- 5- का0 705 मनीष कुमार थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।
- 6- का0 1219 विकास कुमार श्रीमान SPRA महोदय की क्राईम ब्रान्च टीम ।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं 787/22 धारा 354/354क/504/506 भादवि मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं 787/22 धारा 354/354क/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त कार्तिक चौधरी पुत्र सोहन वीर सिंह नि0 SH- B390 शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद को दिनांक 21.06.2022 को समय 12.50 बजे मुखबिर की सूचना पर शास्त्रीनगर चौराहा थाना क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा रास्ते में आते जाते समय छेडछाड करना व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

कार्तिक चौधरी पुत्र सोहन वीर सिंह नि0 SH- B390 शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधित इतिहास अभियुक्त मुकुल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 787/22 धारा 354/354क/504/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा 01 शातिर वांछित अभियुक्त वीर सिंह त्यागी पुत्र मंगत सिंह त्यागी नि0 नूर नगर सिहानी थाना नन्दग्राम गा0बाद को किया गया गिरफ्तार। अभि0 के विरुद्ध थाना हाजा पर 15 अभियोग दर्ज है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

वीर सिंह त्यागी पुत्र मंगत सिंह त्यागी नि0 नूर नगर सिहानी थाना नन्दग्राम गा0बाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1 मु0अ0सं0 397/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।
 - 2 मु0अ0संख्या 04/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 3 मु0अ0संख्या 09/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 4 मु0अ0संख्या 20/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 5 मु0अ0संख्या 44/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 6 मु0अ0संख्या 45/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 7 मु0अ0संख्या 46/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 8 मु0अ0संख्या 97/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 9 मु0अ0संख्या 98/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 10 मु0अ0संख्या 99/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 11 मु0अ0संख्या 100/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 12 मु0अ0संख्या 121/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 13 मु0अ0संख्या 152/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 14 मु0अ0संख्या 236/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
 - 15 मु0अ0संख्या 638/21 धारा 420/409/506/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
- अभि0 के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार थाना नन्दग्राम
2. उ0नि0 श्री विकास कुमार
3. का3824 ओमदत्त शर्मा

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा 01 शातिर वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र महेन्द्र निवासी किरायेदार महेशचंद त्यागी का मकान गली नं 10 सेवा नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद व मुल पता- ग्राम गाढा थाना रुबी सैदपुर जिला सीतामढी बिहार उम्र करीब 45 वर्ष को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभि० संतोष उपोक्त का दिनांक 17-6-2022 की रात्रि के समय अपने पडोस मे ही रहने वाले राजकुमार पुत्र धर्मपाल सिंह मुल निवासी म०नं० 532 गली नं० 1 घूकना मोड हरवंश नगर गा०बाद से झगडा गाली गलोच हुआ फिर कुछ देर बाद ही अभियुक्त संतोष द्वारा राजकुमार के सिर मे लोहे के पाईप से वार किया गया जिसे ईलाज के दौरान राजकुमार की दिनांक 19-6-22 को दिल्ली के AIIMS अस्पताल मे मृत्यू हो गयी ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

संतोष पुत्र महेन्द्र निवासी किरायेदार महेशचंद त्यागी का मकान गली नं 10 सेवा नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद व मुल पता- ग्राम गाढा थाना रुबी सैदपुर जिला सीतामढी बिहार।

बरामदगी का विवरण--

अभि० की निशादेही मे घटना मे प्रयुक्त लोहे का पाईप बरामद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

16 मु०अ०सं० 583/22 धारा 452/304/504/506 भादवि थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. प्र०नि० श्री अमित कुमार थाना नन्दग्राम
5. उ०नि० श्री अनिल कुमार
6. है०का० 1272 विजय सिंह
7. का० 540 विपिन शर्मा

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा कासिम विहार कट से करीब 35-40 कदम की दूरी रामपार्क चौकी क्षेत्र से एक नफर अभियुक्त इरशाद पुत्र शमशेर निवासी म0नं0 ई. 1 82, सोनिया विहार, थाना सोनिया विहार, दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष, जिसके कब्जे से एक अदद चोरी की मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस रजि0 नं0 DL5SAQ0566 चैसिस नं. MBLHA10BFE9K03075 इं.नं. HA10ERE9K04190 सम्बन्धित मु0अ0सं0 331/22 धारा 411/41 भादवि बरामद हुई है ।

नाम पता अभियुक्त

इरशाद पुत्र शमशेर निवासी म0नं0 ई. 1 – 82, सोनिया विहार, थाना सोनिया विहार, दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-331/22 धारा-411/414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यूपी एनसीआर में मोटर साइकिल चोरी करके सस्ते दामों में बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार
2. का0 3880 शिवम
3. का0 724 रामनरेश

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद चोरी की मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस रजि0 नं0 DL5SAQ0566 चैसिस नं. MBLHA10BFE9K03075 इं.नं. HA10ERE9K04190 बरामद होना

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अदद चोरी की मोटरसाकिल बरामद होना

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -20.06.2022 को दौराने चैकिंग समय 22.25 बजे कासिम विहार कट से करीब 35-40 कदम की दूरी रामपार्क चौकी क्षेत्र से एक नफर अभियुक्त इरशाद पुत्र शमशेर निवासी म0नं0 ई. 1 82, सोनिया विहार, थाना सोनिया विहार, दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष, जिसके कब्जे से एक अदद चोरी की मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस रजि0 नं0 DL5SAQ0566 चैसिस नं. MBLHA10BFE9K03075 इं.नं. HA10ERE9K04190 सम्बन्धित मु0अ0सं0 331/22 धारा 411/41 भादवि ।

नाम पता अभियुक्त

इरशाद पुत्र शमशेर निवासी म0नं0 ई. 1 – 82, सोनिया विहार, थाना सोनिया विहार, दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-331/22 धारा-411/414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यूपी एनसीआर मे मोटर साइकिल चोरी करके सस्ते दामों में बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार

2.का0 3880 शिवम

3.का0 724 रामनरेश

बरामदगी का विवरण-

2. एक अदद चोरी की मोटर साईकिल स्पेलेण्डर प्लस रजि0 नं0 DL5SAQ0566 चैसिस नं. MBLHA10BFE9K03075 इं.नं. HA10ERE9K04190 बरामद होना